



26

समक्ष मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर

प्र. क्र. / / 2016

वि.क्र. - 9295-116

रन्नो कुम्हार पत्नी श्री हल्के कुम्हार
आयु 48 वर्ष, व्यवसाय कृषि/गृहकार्य,
निवासी-रानीबाग रोड आगरा मोहल्ला
पन्ना म० प्र०

.....निगरानीकर्ता

विरुद्ध

- 1 म० प्र० शासन द्वारा कलेक्टर पन्ना
- 2 नगर पालिका पन्ना द्वारा मुख्य
नगर पालिका अधिकारी पन्ना.

.....रेस्पोंडेंट

आवेदन पत्र वास्ते आदेश दिनांक 20/10/2016 में सुधार किये जाने

श्रीमान महोदय,

आवेदक/निगरानीकर्ता की ओर से आवेदन निम्नीकित प्रस्तुत है--

1 यहकि, निगरानीकर्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर जिला पन्ना के प्रकरण क० 2/निगरानी/11-12 में पारित आदेश दिनांक 29/02/2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की। जो माननीय न्यायालय के यहाँ प्रकरण क० 1166/I/2016 निगरानी दर्ज हुई।

2 यहकि, उक्त प्रकरण में न्यायालय श्रीमान द्वारा दिनांक 20/10/2016 को अंतिम रूप से आदेश पारित किया जिसमें त्रुटिवश पद क० 2 की तृतीय पंक्ति में भूमि का बंटन के उपरान्त ईट भट्टा निर्माण

लेखबद्ध हो गया जबकि उक्त स्थान पर "कृषि" शब्द लिखा जाना था। इसी पद की प्रमाण पत्र दिनांक 14/03-19/92-93 तथा दि. 15/6/93 के आदेशों के अन्तर्गत क० 29 अ-19/11/92-93 का निर्माण प्रकरण क० 3 की 5वीं, 31वीं एवं 41वीं पंक्ति में दिनांक 15/06/1993

लेखबद्ध हो गया है जबकि सही तिथि 23/06/1993 है। इसी प्रकार पद क० 4 की द्वितीय पंक्ति में तहसीलदार पन्ना के उपरान्त 04/05/2006 अंकित हो गया है जबकि वास्तविक दिनांक 04/06/2005 है। इस कारण उपरोक्त स्थान पर तहसीलदार पन्ना के उपरान्त का आदेश दिनांक 04/06/2005 तथा चतुर्थ पंक्ति में अपर कलेक्टर सागर अंकित हो गया है जबकि अपर कलेक्टर पन्ना है।

श्री राजस्व मण्डल
द्वारा आज दि. 21-10-16 को
प्रस्तुत
यलक ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
834

8/10/16
(2/10/16)


R/S

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्र० M.9295 एक/16 सुधार

जिला पन्ना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारो एवं अभिभाषको आदि के हस्ताक्षर
02.01.17	<p>प्रकरण क्र० निगरानी 1166/दो/2016 मे पारित आदेश दिनांक 20/10/2016 के पद क्र० 2 की तृतीय पंक्ति मे बंटन के उपरान्त ईट भट्टा निर्माण लिखा है जिसे सुधार कर उसके स्थान पर कृषि प्रयोजन किया जाता है। इसी प्रकार इसी पद की पंचम पंक्ति मे प्रकरण क्र० 14/अ-19ब/92-93 आदेश दिनांक 15/06/1993 लिखा है को सुधार कर उसके स्थान पर 29/अ-19ब/92-93 आदेश दिनांक 23/06/1993 किया जाता है। इसी प्रकार पद क्र० 3 की 5वी, 31वी एवं 41वी पंक्ति मे दिनांक 15/06/1993 लिखा है को सुधार कर उसके स्थान पर 23/06/1993 किया जाता है तथा पद क्र० 4 द्वितीय पंक्ति मे 04/05/2006 को सुधार कर 04/06/2005 एवं चतुर्थ पंक्ति मे अपर कलेक्टर सागर को सुधार पर अपर कलेक्टर पन्ना किया जाता है।</p> <p>उपरोक्त आदेश दिनांक 20/10/2016 मे सुधार कर संशोधन उपरोक्तानुसार पढा जाव। पक्षकार सुचित हो प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p> <p style="text-align: right;">  (एम. ई. सिंह) सदस्य </p>	

E.M. Singh